

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2018

विषय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-आगरा की 06 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4572/01/10/छ:/विविध/2017-18, दिनांक 19 फरवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-आगरा की नगर निगम, आगरा एवं न0पं0, फतेहाबाद की विभिन्न अल्पविकसित बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 06 परियोजनाओं हेतु कुल ₹0 420.38 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि ₹0 210.19 लाख (रूपये दो करोड़ दस लाख उन्नीस हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....2

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विगुणित धनराशिवृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का जमा, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो, एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-20/17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
16. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व परियोजनावार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आगणनों में संशोधन सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-8-704/दस-2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भबदीय
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-215/2018/345(1)/69-1-18, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20, सरयोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, आगरा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, मुंडा का विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	नगर निगम, आगरा	वार्ड नं 69 सुभाषपुरम बोदेला में श्रीराम गारमेन्ट से गुड्डू के मकान से राकेश राम प्रसार से शमशुद्दीन के मकान तक, हाजी शमशुद्दीन के मकान से महेश अग्रवाल के मकान तक, मन्दिर वाली गली एवं डा0 तेज सिंह के मकान से चन्द्रभान माहौर के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	42.56	21.28
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं 48 में नगला प्यारे (सौहल्ला) में मन्दिर से कुर्वर सिंह के मकान तक, चौक, सल्ला से राजेन्द्र के मकान तक, प्रताप सिंह के मकान से हरी प्रसाद महीपाल से राकेश के मकान तक, राकेश के मकान से देवदत्त के मकान तक, राकेश के मकान से बीधा के मकान तक, पप्पू के मकान से छोट्टन के मकान तक, हरी प्रसाद के मकान से सुन्दर के मकान तक, जान के मकान से बीधा के मकान तक, शीला के मकान से प्रेम सिंह के मकान तक, सुन्दर के मकान से आकाश के मकान तक, गोबिन्द के मकान से नत्थी के मकान तक, भलिन के मकान से नत्थी के मकान तक, अशोक के मकान से जान सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	50.86	25.43
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं 58 में जे0डी0 शर्मा के मकान से बृजेश चौहान के मकान तक, सुभाष गुप्ता के मकान से अशोक शर्मा के मकान तक, शान्ती वाटिका से सुभाष एवं देवेन्द्र शर्मा से गिरीश शर्मा के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	68.08	34.04
4.	तदैव	तदैव	वार्ड नं 30 बस्ती अवधपुरी (अतबतियां) में शिव शंकर के मकान से राजेन्द्र के मकान तक, सरोज के मकान से खयालीशर्मा के मकान तक, खयालीराम के मकान से धवन के मकान तक, धवन के मकान से अभिषेक के मकान तक, ऐल0आर0 सोनी के मकान से म0नं0 352 तक, रामबाबू के मकान से रवि के मकान तक, रवि के मकान से चेतन शर्मा के मकान तक, विजय कुमार के मकान से दरोगा के मकान तक, दरोगा के मकान से उदयवीर के मकान तक, उदयवीर के मकान	203.05	101.525

			से रुकमणि के मकान तक, मुरारी के मकान से कृष्ण स्वरूप के मकान तक, भरद्वाज के मकान से विजय कुमार के मकान तक, मैरिज होम से नवाब सिंह के मकान तक, ऋतुवार से इम्पीरियल पब्लिक स्कूल एवं ब्रान्च में नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।		
5.	तदैव	तदैव	वार्ड नं 67 इन्द्रप्रस्थ बस्ती बिचपुरी रोड बोदला पर मयूर गैस के सामने गंगा प्रसाद वाली गली, जगराम वाली गली, मातीलाल के मकान से पप्पू के मकान तक, पप्पू के मकान से मुकेश के मकान तक एवं किशन के मकान से कमलेश के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	36.97	18.485
6.	तदैव	न0पं0, फतेहाबाद	वार्ड नं 13 मो0 मोहल्ला मल्लाह टूला में जगदीश बघेल के मकान से विजय के मकान तक, राधा मोहन के मकान से अनिल के मकान तक तथा मोहल्ला कानुनगों में छेदीलाल के मकान से पोलाराम के मकान तक एवं दयाराम के मकान से महताब के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	18.86	9.43
योग				420.38	210.19

(रूपये दो करोड़ दस लाख उन्नीस हजार मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव

<http://shasanadeshpuric.in>